न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 65 / 2021 अपील (GCMS 2021/88)
पंजीयन दिनांक– 20 / 09 / 2021
निर्णय दिनांक– 12 / 08 / 2024

1. श्री रतना पिता भेराजी मीणा, निवासी चौराई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्री धन्ना पिता भेराजी मीणा, निवासी चौराई, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश नन्दवाना — अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवतसिंह शक्तावत — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 04 / 2020
(प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 12.08.2021

निर्णय

दिनांक 12 / 08 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 04 / 2020 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय

दिनांक 12.08.2021 के विरूद्ध दिनांक 14.09.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव में आराजी संख्या 2826/2019 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर अपीलांट एवं अपीलांट के दो अन्य भाई हकरा पिता भेरा एवं खेमा पिता भेरा का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज चली आ रही थी। अपीलांट सहित चारों भाईयों ने अपने हिस्से का बंटवाडा दिनांक 20.07.2007 को कर लिय था एंव अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान भूमि अपने नाम दिनांक 20.02.2013 को आवंटित करवा ही। इस आवंटन की अपीलांट को किसी तरह की कोई सूचना भी नही दी गई। आवंटन नियम 4 व 5 की पालना नही की गई है। आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार किये बिना, उद्घोषणा जारी किये बिना एवं आवंटन की पात्रता की जांच किये बगैर ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.02.2013 को कथित भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है एवं उसी दिवस को पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई एवं उसी दिनांक को आवंटन किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा मिसरिप्रजेंटेशन करके तथा पटवारी हल्का द्वारा सही तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने के कारण भूमि रेस्पोडेंट को आवंटित हो गई है, उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से

निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में आराजी संख्या 2886/2019 रकबा 0.2100 हैक्टेयर का किया गया आवंटन दिनांक 20.02.2013 को खारिज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2020 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 12.08.2021 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*" अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर भूमि पर उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है तथा मामले मे तहसीदार ऋषभदेव को निर्देश दिये जाते है कि वह आवंटीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने अथवा न करने के सबंध मे राजस्व अभिलेख व मौका अनुसार जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करे।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश नन्दवाना उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह शक्तावत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.07.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि कथित भूमि पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होना, मौके पर बटवांड़ा होना, उद्घोषणा जारी न होना, आवंटन से पूर्व ओक्यूपाईड एवं अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, समस्त कार्यवाही एक ही दिवस में होना, आवंटन में मिसरिप्रजेन्टेशन होना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, प्रार्थीगण का संबध अन्य आराजी से होना, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पास धारा 91 के नोटिस वर्ष 2009, 2010 व 2011 की प्रतियां उपलब्ध होना, आवंटित भूमि पर रेस्पोडेंट्स का केलुपोश मकान बना होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य बनाम शंकर लाल व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 मे यह प्रतिपादित किया है कि आवंटन के 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकारों का प्रदत किये जाने की उपधारण की गई है एवं खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

  - RRT 2018 (1) PAGE 1007 (HC)
  - RRT 2016 (1) PAGE 82
  - RRT 2016 (1) PAGE 559

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 3 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति.

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 12.08.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2020 (प्रार्थना पत्र आंवटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 12.08.2021 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन पत्रावली संख्या 04/2013 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा चौराई, तहसील ऋषभदेव की आराजी संख्या 2886/2019 रकबा 0.2100 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को किया गया है। आवंटन पत्रावली में कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर भी मौजूद है। आवंटन के उपरान्त दिनांक 20.02.2013 को कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है। आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवाद रहित होना एवं आवंटी का कब्जा होना दर्शाया

गया हैं। आवंटन पत्रावली मे रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम जारी धारा 91, भू. राजस्व अधिनियम, 1956 का नोटिस वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 उपलब्ध है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं भूमिधारक तहसीलदार की ओर से काई आपत्ति/आवंटन निरस्त करने हेतु कोई प्रार्थना नही की है। आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। अपीलांट्स द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट्स का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि अपीलांट्स का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे अपीलांट्स के पास उपलब्ध होती, जो अपीलांट्स का कब्जा साबित करती। अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन उपरान्त कथित आवंटन मे कोई त्रुटि प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित न होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाई जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला

कलक्टर, उदयपुर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 12.08.2021 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर